कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक–5386/11–सी–**FP/UP/Road/25036/2017**, लखनऊ, दिनांकः जून 27,2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
बाँदा।

विषयः– जनपद–बांदा में नरैनी से कालींजर तक सड़क के किमी0 35.00 से 60.825 तक तथा कालींजर–बघेलाबारी सड़क के किमी0 0.00 से 1.50 तक फोरलेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1767 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–5937/33–1, दिनांक 21.06.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर मूल में अंकित नहीं है।
2. भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु किमी सं0 त्रुटिपूर्ण अंकित किया है तथा रिपोर्ट में वनभूमि की कानूनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है।
3. प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर पूर्ण शीर्षक अंकित नहीं है।
4. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न है किन्तु प्रस्ताव में 1914 वृक्षों की सूची संलग्न है जबकि अन्य प्रमाण पत्रों में 1767 बाधक वृक्ष बताये गये है तथा ऑनलाइन पार्ट–2 में 1860 बाधक वृक्ष अपलोड़ किये गये है। इस विषमता को स्पष्ट करते हुये दूर करें।
5. मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
6. भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.08.2017 के अनुसार परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
7. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्रत्येक चरण पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
8. ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map को–आर्डिनेटस सहित अपलोड़ नहीं है।
9. ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र जिस पर शीर्षक, लीजेन्ड व प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित हो, अपलोड़ नहीं है।
10. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है तथा चयनित स्थल का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है। अतः विवरण को स्पष्ट करते हुये संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड़ करें।
11. एन.पी.वी. में बढ़ोत्तरी के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्वता, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।
12. वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नही है।
13. वनाधिकार अधिनियम–2006 के तहत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। अतः मूल में संलग्न करें।

Acy-2025

14. प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो तथा सड़क के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न नहीं है।
15. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है, किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं है।
16. गैर वनभूमि पर मलवा निस्तारण की दशा में भू स्वामित्व का सहमत पत्र संलग्न नहीं है।
17. ऑनलाइन भाग–1 में कालिंजर से बघेलाबारी सड़क के किमी0 0.00 से 2.500 तक चौड़ीकरण का उल्लेख है जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों में किमी0 0.00 से 1.500 तक चौड़ीकरण का उल्लेख किया गया है। अतः इस विषमता को स्पष्ट करते हुये दूर करें।
18. हिन्दी वर्जन भाग–1 में व ऑनलाइन भाग–1 में रोजगार का विवरण भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान विवरण अंकित करें।
19. हिन्दी वर्जन भाग–1(V) में लागत लाभ विश्लेषण का विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।
20. ऑनलाइन भाग–2 में जिले की प्रोफाइल में विवरण हिन्दी वर्जन भाग–2 के अनुरुप न होकर भिन्न–भिन्न अंकित किया गया है। अतः एक समान उचित विवरण अंकित करें।
21. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–18 पर संलग्न प्रमाण पत्र में कुल लम्बाई 26.675 अंकित है जोकि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।
22. वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु किमी0 सं0 त्रुटिपूर्ण अंकित है तथा वनभूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
23. प्रस्ताव में व्यासवार, वैज्ञानिक नाम सहित बाधक वृक्षों की सूची का सारांश संलग्न नहीं किया गया है।
24. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Details में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर Remarks में प्रमाण पत्रों का नाम अंकित करें।
25. उपरोक्त कमियों का निराकरण कर प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड़ करते हुये संशोधित पार्ट–2 प्रस्ताव में संलग्न करें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने में अत्यन्त लापरवाही बरती जा रही है, जो उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

27/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–5386/11–सी– **FP/UP/Road/25036/2017**, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, बांदा।

27/6

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2026